"भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय"

9, दीन दयाल उपाध्याय, मार्ग, नई दिल्ली - 110124

सं. 456/07/कल्याण-आई.टी/2016-17/के.डब्ल्यू -।

दिनांक: 13.07.2016

सेवा में

संबंधित विक्रेता

विषय: लैपटाप और डॉकिंग स्टेशनों की आपूर्ति और इनके प्रतिष्ठापन के लिए उद्धरण।

महोदया/महोदय,

इस कार्यालय अर्थात भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली 110124 में निम्न कम्प्यूटर हार्डवेयर मदों की आपूर्ति, प्रतिष्ठापन, विन्यास और स्थापित करने के लिए प्रतिष्ठित विक्रेताओं से सीमित निविदा जाँच द्वारा मुहरबंद उद्धरणों को आमंत्रित किया जाता है:

1. लैपटाप

क्रम सं.	लैपटाप के लिए आवश्यक विनिर्देश	मात्रा
01	मोबाइल इन्टेल सीएम 236 चिपसेट होना चाहिए इंटेल कोर[टीएम] आई7-6820एचक्यू (कैड कोर 2.70जीएचजेड, 3.60जीएचजेड टर्बो, 8एमबी) 2x2 एंटीना एनर्जी स्टार कॉम्प्लेन्ट वाले प्रीमियर पैनेल के साथ व्यापक दृश्यता वाला 15.6" फुल एचडी (1920x1080) एंटी ग्लेएर-एलईडी बैकलाइट 32 जीबी वाला ड्यूअल चैनेल डीडीआर4 2133 मेगा हर्ट्ज (16 जीबीx2)-2 डीआईएमएम स्लॉट्स–256 जीबी एम-2 पीसीएलई सॉलिड स्टेट ड्राइव के साथ 32 जीबी डीडीआर 4 2133 मेगा हर्ट्ज ड्यूअल हार्ड ड्राइव+1 टीबी 2.5 इंच साटा (5400 आरपीएम) 56 वॉ.वं 3-सेल लीथियम-ऑयन बैट्री 2 जीबी जीडीडीआर5 इंटेल वाईफाई 8260 2x2 802.11 एसी+बीटी 4.1 के साथ एनवीला क्वाड्रो एम1000एम वाला डेडीकेटेड ग्राफिक कार्ड मीडिया के साथ विंडेज़ 10 प्रो (64 बिट) इंटेल वीप्रो उन्नत प्रौद्योगिकी प्रबंधन सुविधाएँ दोहरे एकीकृत उच्च गुणवत्ता स्पीकर और दोहरे एकीकृत शोर रद्द डिजिटल सारणी माइक्रोफोन एसडी कार्ड रीडर (एसडी, एसडीएचसी, एसडीएक्ससी, 64 एमबी तक भारवाहक) 1 x थंडरबोल्ट 3	10

	2 X पावरशेयर के साथ यूएसबी 3.0 1 X हेडफोन और माइक्रोफोन कॉम्बो जैक 1 X एचडीएमआई 1 X बैटरी जीवन सूचक सभी सामान के साथ एकीकृत प्रकाश के प्रति संवेदशील एचडी वीडियो वेबकैम विश्वसनीय प्लेटफॉर्म मॉड्यूल (टीपीएम) 1.2 के साथ डॉकिंग रिप्लेकटर-॥ वजन 2 कि. से कम होना चाहिए। कोई ऑस्टिकल ड्राइव नहीं। 3 वर्षों की ऑनसाइट सेवा वारंटी।	

2. डॉकिंग स्टेशन

क्रम सं.	**डॉकिंग स्टेशन के लिए आवश्यक विनिर्देश**	**मात्रा**
01	01 डीवीआई पोर्ट दो यूएसबी 2.0 पोर्ट्स, तीन यूएसबी 3.0 पोटर्स और 01 एचडीएमआई पोर्ट	**10**

2. केवल वही विक्रता आवेदन करे जो निश्चित रूप ये 2-3 सप्ताह में समग्रियों की आपूर्ति कर सकता है।

3. ''आपूर्ति के लिए उद्धरण, स्थापना, विन्यास और कम्प्यूटर हार्डवेयर की जाँच'' उतकीर्ण निदेशक (कार्मिक) कार्यालय भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्ष, 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को संबोधित मोहरबंद लिफाफे इस कार्यालय में श्री परवेज़ हसन, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (कल्याण-॥) कक्ष सं. 305 तीसरा तल को व्यक्तिगत रूप से **27.07.2016 3:00 बजे अपराहन से पहले प्रस्तुत किया जायेगा और बोली उसी दिन 4:00 अपराहन बजे** खोली जायेगी। निविदा से संबंधित सभी आवश्यक निबंधन एवं शर्ते अनुबंध में सूचीबद्ध है (संलग्न)। इस निविदा से संबंधित जाँच इस कार्यालय के वेबसाइट http:www.saiindia.gov.in पर भी उपलब्ध है।

भवदीय

(परवेज़ हसन)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (क.सू. प्रौ.)

'अनुबंध '

(निबंधन एवं शर्तें)

1. यह कार्यालय न्यून्तम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और कोई कारण बताए बिना किसी भी या प्राप्त सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है। किसी भी संबंध में अपर्याप्त या अपूर्ण निविदाएँ या पूरी नहीं की गईं निर्धारित शर्तों को अस्वीकार किया जा सकता है। निविदाकारों/विक्रेताओं द्वारा किसी भी प्रकार से पक्षप्रचार के परिणामस्वरूप उनकी निविदाओं का अस्वीकरण होगा।
2. **आवश्यक हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की बनावट, मॉडल, प्रकार विस्तृत विवरण को उद्धरण में स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना चाहिए। प्रत्येक आवश्यक मदों के विभिन्न बनावट और मॉडल के विकल्प को सर्वोत्तम चयन के लिए संबंधित दरों के साथ उद्धरित किया जा सकता है। अन्य विवरण जैसे कि वारंटी, वितरण अवधि, प्रतिष्ठापन प्रभार यदि कोई हों और कर प्रावधान आदि के साथ डाटा स्थानांतरण प्रभार, यदि आवश्यक हो भी सूचित किए जाएंगे।**
3. मुख्य संगठनों/सरकारी विभागों जिनके साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान निविदाकार ने व्यवहार किया/ऐसे उत्पादों की आपूर्ति के आदेशों/पत्रों की प्रतियाँ निविदाकार/ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।
4. निविदाकार की फर्म को आपूर्ति/सेवाओं के लिए दिल्ली/एनसीआर बिक्री/सेवा कर विभाग में पंजीकृत कराना चाहिए। पंजीकरण संख्या आदि का उल्लेख करते हुए ऐसे प्रमाणीकरण की प्रतियों को निविदा/उद्धरण के साथ प्रस्तुत किया जाऐगा।
5. निविदाकार का वार्षिक टर्नओवर **₹ 01 करोड़** या अधिक होना चाहिए। विक्रेता/फर्म के लेखापरीक्षित लेखों की प्रतियों के साथ जहाँ लागू हों पिछले तीन वित्तीय वर्षों की आईटी रिटर्न/तुलन पत्र आदि प्रस्तुत करने चाहिए।
6. निविदाकार/फर्म की **टीआईएन/पैन नम्बर आदि** की प्रतियाँ प्रस्तुत करनी चाहिए।
7. **ओईएम की ओर से, यदि लागू हो आवश्यक अधिकार प्रमाण-पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।**
8. ''पीएओ, प्र.म.ले. (लेखापरीक्षा), दिल्ली के पक्ष में रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में **₹ 25000/-** तक (केवल पच्चीस हज़ार रूपये) ''बयाना राशि (ईएमडी)'' प्रस्तुत की जायेगी।
9. इसके बाद से, सफल निविदाकार को ठेकेदार के तौरपर संदर्भित किया जायेगा को कुल ठेका मूल्य के **10%** के बराबर की राशि को **'बैंक गारंटी'** प्रस्तुत करनी होती है जोकि वारंटी/सहायता अवधि के समापन पर विमोचित की जायेगी।
10. सभी तकनीकी शंका/शिकायतें जो कि अनिश्चित हो सकती हैं पर समस्त वारंटी/सहायता अवधि के दौरान तुरंत ध्यान दिया जायेगा।
11. आवश्यक प्रशिक्षण, जो एक समय या विभिन्न खण्डों में हो सकती है, उपयोगकर्ता के लिए आवश्यकता और स्थिति पर निर्भर करती है विक्रेता/निविदाकार के द्वारा लागत मुक्त व्यस्थित की जाएगी।

12. हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर के प्रयोग के लिए आवश्यक प्रांरभिक प्रशिक्षण/सर्मथन सेवाऐ, यदि आवश्यक हो तो उपयोगकर्ताओं के संबंध में व्यस्थित की जाएगी या जिसकी और जब सम्पूर्ण वारंटी/समर्थित अवधि के दौरान मांग के आधार पर आवश्यकता है।
13. निविदाकार कार्य के भार के साथ तालमेल करने में विफल रहने के मामले में या वांरटी/सर्मथन अवधि के दौरान संतोषजनक सेवाएं प्रदान नहीं करता है, तो उसको प्रदान की गई संविदा किसी भी सूचना के बिना या बिना कोई कारण बताए जो भी हो रद्द कर दी जायेगी और बैंक गारंटी अनुपात में या पूर्ण रूप में भुना लिया जाएगा और उसे देय भुगतान, यदि कोई है, जब्त कर ली जायेगी, इस संबंध में, निदेशक (कार्मिक) का निर्णय अंतिम और निविदाकार पर बाध्यकारी होगा।
14. यदि कोई भी त्रुटि देखा जाता हैं या वारंटी/समर्थन की अवधि के दौरान उपयोगकर्ताओं द्वारा की गयी किसी भी शिकायत विलम्ब से सुधार या किसी अन्य कारण से कार्य किसी भी अव्यवस्था के लिए मुआवजे का उद्ग्रहण, ठेकेदार से जुर्माना दावा लागू करने के लिए इस कार्यालय के निदेशक (कार्मिक) द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
15. विक्रेता सम्पूर्ण या कार्यो के हिस्सो को, जहॉ आदेश में अन्यथा प्रावधान किया गया है, इस कार्यालय के सक्षम अधिकारी के पूर्व लिखित सहमति के बिना सबलेट पर नहीं देगा। इस प्रकार की सहमति, यदि दी गयी है, संविदा के अन्तर्गत किसी भी दायित्व या बाध्यता से निविदाकार को राहत नहीं दी जाएगी और कार्यो के लिए, उसके और उसके एजेंट के अधीन व्यक्तियो या कामगार की त्रुटि और लापरवाही के लिए वह जिम्मेदार होगा।
16. संविदा की अवधि के दौरान निविदाकार सभी समय संविदा के अनुरूप और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपनियमो या केन्द्र सरकार या इस कार्यालय के या अन्य सभी स्थानीय प्राधिकरणों के विनियमों का अनुपालन करेगा, राज्य विधानमंडल और संसद द्वारा अधिनियमित और लागू विभिन्न श्रम में निहित प्रावधान और न्यूनतम मजदूरी अधिनिय के अन्तर्गत कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, भविष्य निधि आदि विनियमन सहित उन लोगो के कल्याण और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए या सार्वजनिक और अन्य बीमा प्रावधान की सुरक्षा के लिए नियम बनाऐ गये है।
17. निविदाकार अपने स्वयं के कामगारों/इंजीनियर या अन्य व्यक्तियों को कार्यालय परिसर में संविदा के क्रियान्विन के समय किसी दुर्घटना के दावे के लिए और संपत्ति की किसी भी क्षति के लिए इस कार्यालय को क्षतिपूर्ति करेगा।

(परवेज़ हसन)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (क.सू. प्रौ.)